

## कार्यवृत्त

शुक्रवार, 29 फाल्गुन, शक संवत्, 1936

( दिनांक 20 मार्च, 2015 ई0 )

खण्ड-42  
अंक-8

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही प्रदेश में आबकारी नीति पर नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय का प्रश्नकाल के बाद संज्ञान ले लेंगे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अपने स्थानों पर खड़े मा0 सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयान्तर्गत प्राप्त समस्त सूचनाएं, जो पढ़ी हुई मानी गयी तथा वे सभी सूचनाओं को शासन के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार करते हैं।

1. श्री अजय भट्ट  
श्री राजेश शुक्ला  
उपनल के माध्यम से नियुक्ति संविदा कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के पश्चात भी सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री मदन कौशिक  
वित्तीय वर्ष 2010-11 में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में शेष कार्य की पूर्ति हेतु शेष राशि जारी न होने के संबंध में।
3. श्री राजकुमार टुकराल  
विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में प्रमुख सड़क सम्पर्क मार्गों के निर्माण के संबंध में।
4. श्री ओदश चौहान  
बी0एच0एल0 रानीपुर के अन्तर्गत ग्राम रावली महदूद, सलीमपुर, रोशनाबाद, आमैरी व नगर पालिका परिषद् शिवालिक नगर में मूलभूत सुविधाएं न होने के संबंध में।
5. श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर में आरक्षित, गैर आरक्षित वन क्षेत्रों से गुजरने वाली एच0टी0/एल0टी0 विद्युत लाईनों से जनता एवं वन्य जीवों को होने वाले खतरे के संबंध में।

6. श्री हरबंस कपूर राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की कालोनियों को राज्य के अधीन लिये जाने के संबंध में।
7. श्री महावीर सिंह रांगड़ विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती में पट्टी सकलाना के अन्तर्गत ब्रिटिश कालीन नहर में सिंचाई कर लगाये जाने के संबंध में।
8. श्री नवप्रभात श्री सुरेन्द्र सिंह जीना विधान सभा रायपुर देहरादून अन्तर्गत धर्मपुर चौक से चंचल स्वीट शॉप तक सीवर लाईन निर्माण के संबंध में।
9. श्री प्रेम सिंह राणा उत्तराखण्ड प्रदेश में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में मैरिट प्राप्त छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत न किये जाने तथा अध्यापकों/प्रधानाचार्यों को राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार न दिये जाने के संबंध में।
10. श्री अरविन्द पाण्डेय जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा कोपा व कुल्हा को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मांग के संबंध में।
11. श्री यतीश्वरानन्द विधान सभा हरिद्वार ग्रामीण के बाड़ीटीप से तिलकपुरी तक सड़क बनाये जाने के संबंध में।
12. श्री संजय गुप्ता विधान सभा क्षेत्र लक्सर अन्तर्गत सोलानी नदी से सिल्ट हटाने के संबंध में।
13. श्री दलीप सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड रिखणीखाल में स्थित आई0टी0आई0 भवन हेतु धन आवंटन के संबंध में।
14. श्री पुष्कर सिंह धामी मा10 मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य आन्दोलकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की घोषणा पर कार्यवाही न होने के संबंध में।
15. श्री सहदेव सिंह पुण्डरीर विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम पंचायत कंडोली अन्तर्गत पालावाली में गुलाटा नदी पर पुल निर्माण की मांग के संबंध में।
16. श्रीमती विजय बड़थवाल जल निगम एवं जल संस्थान के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के शोषण के संबंध में।
17. श्री दान सिंह भण्डारी विधान सभा क्षेत्र भीमताल में लोक सेवा आयोग को परीक्षा भवन के निर्माण में हो रही उदासीनता व ढिलाई के संबंध में।

18. श्री विशन सिंह चुफाल जनपद पिथौरागढ़ के क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय बटुला के भवन को बनवाने के संबंध में।
19. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत कृष्ण नगर (लेबर कालोनी) की अधिकांश अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले क्षेत्र को सरकारी सुविधा से वंचित किये जाने के संबंध में।
20. श्री चन्द्रशेखर विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत ग्राम बादीवाला में जंगली हाथी द्वारा महिला की मृत्यु के पश्चात सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान न किये जाने के संबंध में।
21. श्री बंशीधर भगत जनपद नैनीताल के रानीबाग में स्थापित एच0एम0टी0 घड़ी कारखाने के कर्मचारियों की विगड़ती स्थिति के संबंध में।
22. श्री ललित फर्स्वाण विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत धरमघर चुचेर लाथी-माजरखेत मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2014-15) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री बंशीधर भगत, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढूंगी के चकलुवा मुख्य मार्ग से रामपुर-खड़कपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कुन्दन सिंह जन्तवाल, निवासी ग्राम रामपुर, पो0 चकलुवा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद पौड़ी गढ़वाल के काण्डाखाल व आस-पास के गांव में पेयजल हेतु काण्डाखाल पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री हर्ष मोहन नैथाणी, निवासी ग्राम महरगांव, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिगांलपाणी गूम-किनसुर मोटर मार्ग के शेष 4 कि0मी0 निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रमेश सिंह नेगी, निवासी ग्राम किनसुर, पो0 किनसुर, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

'सरकार के द्वारा एक ही प्रश्न पर दो अलग-अलग उत्तर आने से सदन में विरोधाभाष पैदा किये जाने विषयक' श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे परीक्षण कराकर अपना निर्णय दे देंगे।

उपनल के कार्मिकों को सेवा से हटाये जाने एवं अभी तक विभागीय संविदा पर नियुक्ति न किये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा के विशेषाधिकार की प्राप्त सूचना पर सैनिक कल्याण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अस्वीकार किया।

विगत विधान सभा सत्र में सरकार द्वारा मुझे सुरक्षा देने तथा मेरे ऊपर लगे झूठे मुकदमे समाप्त किये जायेंगे, से आश्वस्त करने के 9 माह बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही न होने विषय पर श्री राजकुमार टुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना दी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि जिन मा0 सदस्यों ने अपनी सुरक्षा को लेकर नियम-65 के अन्तर्गत जो सूचना सदन को दी है। उसी संबंध में उन्होंने पूर्व में भी इस सदन को सूचना दी थी और सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा का आश्वासन आया था और उस आश्वासन को सरकार तत्काल पूर्ण करें, वे सरकार को निर्देशित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी। जो प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 2015 की बैठक में दिनांक 21 मार्च, 2015 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

**मार्च, 2015**

## **20 शुक्रवार**

1. उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
2. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित सरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

“उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वन ग्राम, गोठ व खत्ते आदि, जो वन भूमि पर लम्बे समय से हैं, मैं निवासित नागरिकों को समुचित अवस्थापना सुविधायें दिये जाने, उन्हें भूमि अधिकार दिये जाने आदि की दृष्टि से इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने हेतु भारत सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाय।” (15 मिनट)

3. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

“यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को विगत वर्षों की तरह ही विशेष राज्य का दर्जा बनाये रखते हुए विशेष योजनागत सहायता (SPA), सामान्य केन्द्रीय सहायता (NCA), विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) तथा अन्य केन्द्रपोषित योजनाओं के लाभ पूर्वतया प्रदान किये जाये।”

(15 मिनट)

मार्च, 2015

21 शनिवार

नियम-105 के प्रस्ताव

श्री हरभजन सिंह चीमा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे-छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तों पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दी जाय।”

( शेष कार्यक्रम यथावत् )

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत प्राप्त 17 सूचनाओं में श्री मदन कौशिक, श्री हरबंस कपूर, श्री आदेश चौहान, श्री पुष्कर सिंह धामी एवं श्री सहदेव सिंह पुण्डीर की सूचना को ग्राह्यता पर सुन लेंगे तथा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षण करते हैं।

इस पर नियम-58 में दी गई सूचना पर भाजपा के कई सदस्य 'वेल' में आकर ग्राह्यता पर चर्चा की मांग करने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि परम्परानुसार वे 5 सूचनाएं स्वीकार कर चुके हैं, इसके अतिरिक्त शेष सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु शासन को प्रेषित की जा रही है। लेकिन सदस्यों द्वारा अन्य सूचनाओं पर भी ग्राह्यता पर चर्चा की मांग करने पर कहा कि ग्राह्यता पर सुन लेंगे लेकिन सांय 04 बजे तक का समय निर्धारित करते हैं।

वेतन विसंगति समिति की बैठक में लिए गये निर्णय की रिपोर्ट निर्गत न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में फैल रहे स्वाइन-फ्लू के प्रकोप विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री हरबंस कपूर ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

हरिद्वार जनपद के रानीपुर क्षेत्र में चोरी व हत्या के प्रयास की घटी दो घटनाएं विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री आदेश चौहान ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 55 मिनट पर 03:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के पश्चात् सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

राष्ट्रीय राजमार्ग पानीपत-खटीमा प्रस्तावित बाईपास के निर्माण से सैकड़ों परिवार के सामने उत्पन्न संकट विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद देहरादून के सहसपुर अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में बरसात से पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य, श्री सहदेव पुण्डीर ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व मा0 पेयजल मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में पूर्व से तय आबकारी नीति के बाद जनता से सुझाव मांगने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर मा0 नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट, मा0 सदस्य, श्री मदन कौशिक व मा0 सदस्य श्री गणेश जोशी ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्यों व मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1985108 हजार (रूपये एक सौ अठ्ठानवे करोड़ इक्कावन लाख आठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-28 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

पशुपालन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-28 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1929843 हजार (रूपये एक सौ बयानवे करोड़ अठ्ठानवे लाख तैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-16 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री पुष्कर सिंह धामी व नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार रखे।

श्रम एवं रोजगार मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री सुरेन्द्र सिंह जीना द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-16 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 555521 हजार (रूपये पचपन करोड़ पचपन लाख इक्कीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अनुदान संख्या-01 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1132970 हजार (रूपये एक सौ तेरह करोड़ उनतीस लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अनुदान संख्या-03 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1701582 हजार (रूपये एक सौ सत्तर करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अनुदान संख्या-04 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 162129 हजार (रूपये सोलह करोड़ इक्कीस लाख उनतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-08 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

श्री यतीश्वरानन्द ने भी अपने विचार रखे।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-08 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 103210 हजार (रूपये दस करोड़ बत्तीस लाख दस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अनुदान संख्या-09 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 12075689 हजार (रूपये एक हजार दो सौ सात करोड़ छप्पन लाख नवासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-10 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट ने भी अपने विचार रखे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-10 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 289824 हजार (रूपये अट्ठाईस करोड़ अट्ठानवें लाख चौबीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-14 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-14 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 12597275 हजार (रूपये एक हजार दो सौ उनसठ करोड़ बहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र)**, अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 12827440 हजार (रूपये एक हजार दो सौ बयासी करोड़ चौहत्तर लाख चालीस हजार मात्र)** एवं अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3543726 हजार (रूपये तीन सौ चौवन करोड़ सैंतीस लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री चन्दन राम दास ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-15, 30 एवं 31 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्रीमती विजय बड़थवाल ने भी अपने विचार रखे।



कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री चन्दन राम दास द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-15, 30 एवं 31 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2030149 हजार (रूपये दो सौ तीन करोड़ एक लाख उनचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-21 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-21 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 15444205 हजार (रूपये एक हजार पांच सौ चौवालीस करोड़ बयालीस लाख पांच हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री विशन सिंह चुफाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-22 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री विशन सिंह चुफाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-22 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1011359 हजार (रूपये एक सौ एक करोड़ तेरह लाख उन्सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-23 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री आदेश चौहान ने भी अपने विचार रखे।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-23 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1057150 हजार (एक सौ पांच करोड़ इक्कहत्तर लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री विशन सिंह चुफाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-24 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री विशन सिंह चुफाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-24 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए।

श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-7, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए।

श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-24, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

अध्याय-1 की धारा-2 में श्री गणेश गोदियाल ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ:-

अध्याय-1 की धारा -2 के स्थान पर निम्न धारा- 2 स्थापित कर दी जाये, इस अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले चिकित्साधिकारी के समूह-ख के समस्त पदों तथा प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व चिकित्सा शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के पदों पर लागू होंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा चिकित्सा सेवा के पैरामैडिकल पदों को बोर्ड की परिधि में रख सकती है अथवा हटा सकती है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 संशोधित रूप से पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी** रहेगी:-

“राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्योगिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।”

श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी** रहेगी:-

“राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।”

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया गया:-

“उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वन ग्राम, गोठ व खत्ते आदि, जो वन भूमि पर लम्बे समय से हैं, में निवासित नागरिकों को समुचित अवस्थापना सुविधायें दिये जाने, उन्हें भूमि अधिकार दिये जाने आदि की दृष्टि से इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने हेतु भारत सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाय।”

संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद उक्त संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया:-

“यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को विगत वर्षों की तरह ही विशेष राज्य का दर्जा बनाये रखते हुए विशेष योजनागत सहायता (SPA), सामान्य केन्द्रीय सहायता (NCA), विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) तथा अन्य केन्द्रपोषित योजनाओं के लाभ पूर्वतया प्रदान किये जाये।”

नेता प्रतिपक्ष एवं श्री मदन कौशिक के चर्चा के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत प्राप्त सभी 17 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षण करते हैं।

विधान सभा क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर के अन्तर्गत नवगठित नगर पालिका परिषद् शिवालिक नगर में छूट गये कतिपय क्षेत्रों को जोड़े जाने के संबंध में, श्री आदेश चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, शहरी विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य तथा,

उत्तराखण्ड राज्य में 01.11.2005 के बाद नियुक्त सरकारी कार्मिकों की सी.पी.एस.एन. कटौती के संबंध में, श्री सरवत करीम अंसारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, वित्त मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य, पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द  
सचिव,  
विधान सभा।

स्वीकृत,  
गोविन्द सिंह कुंजवाल  
अध्यक्ष,  
विधान सभा।